

117
21

पत्रावली पेश। वहील उन्नयफु उप।
चुंकि इल वाद पत्र मोल्सेल के काधार
पर निस्वारित किया जा चुका है। ऐसी
स्थिति में इस सार्थना पत्र की कोई
आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह
सार्थना पत्र साक्षीन होने पर इसी
स्तल पर प्कारित किया जाता है। पूर्व
में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
क्रमांक 06.07.21 निरस्त की जाती है।
पत्रावली का तत्काल तबतिल होकर
शाखिन दफ्तल हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना